फर्द अहकाम

रामवतार बनाम रामनिवास

...य – उपखण्ड अधिकारी फागी

84/2017

	आज्ञा विस्तृत रुप से
3/7/25	पत्रावली पेश हुई है पी0सी0 साहब अन्य ... कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/7/25 को पेश है।
24/7/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/7/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी
25/7/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उपस्थित आदेश सरे इजलास सुनाया जाता है वादी का वाद धारा 88 व 188 रा० का० अधि० खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं० से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर :— 84 / 2017
निर्णय दिनांक :— 25.07.2025
पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. रामअवतार पुत्र श्री मुल्या उर्फ मुलचन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम जगनाथपुरा पटवार हल्का निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. रामनिवास पुत्र श्री मुल्या उर्फ मुलचन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम जगनाथपुरा पटवार हल्का निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. गलोल देवी पत्नि श्री मुल्या उर्फ मुलचन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम जगनाथपुरा पटवार हल्का निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. धापू देवी पुत्री मुल्या उर्फ मुलचन्द
4. कमला देवी पुत्री मुल्या उर्फ मुलचन्द
5. गीता देवी पुत्री मुल्या उर्फ मुलचन्द
6. संतरा देवी पुत्री मुल्या उर्फ मुलचन्द
7. कौशल्या देवी पुत्री मुल्या उर्फ मुलचन्द समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम जगनाथपुरा पटवार हल्का निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:— श्री रमेश चन्द शर्मा अधिवक्ता वादी
श्री रवि कुमार जैन अधिवक्ता प्रतिवादी 1 लगा0 7
पैरोकार सरकार

दावा बाबत् घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज
धारा 88 व 136 राज.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक:—25.07.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी खंसरा नं. 65 रकबा 6 बीघा, खसरा नं. 67 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा भूमि वाके ग्राम जगन्नाथपुरातहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भुमि में वादी का हिस्सा 1/8 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 7 का हिस्सा प्रत्येक का 1/8–1/8 है उक्त आराजी को आगे बाद पत्र में विवाद ग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है जो स्व. मुल्या उर्फ मुलचन्द के वारिस है उक्त आराजी वादी के पिता स्व. मुल्या पुत्र लाला जाति बैरवा निवासी जगनाथपुरा तहसील फागी को दिनांक 22.06.1976 को भूमिहीन काश्तकार होने के कारण राज्य सरकार द्वारा खेती करने के लिये अलाटमेन्ट कमेटी के द्वारा अलाटमेन्ट की गयी थी अलाटमेन्ट के पश्चात् वादी के पिता ने उक्त अलाट शुद्वा जमीन पर कब्जा प्राप्त कर लिया था और काश्त करने लग गया था जब तक वादी के पिता जीवित रहे उक्त अलाट शुद्वा जमीन पर काबिज काश्त रहे वादी के पिता की मृत्यु दिनांक 15.03.1985 को ही हो चुकी थी जिसके पश्चात वादी व प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । उक्त भूमि वादी के पिता स्व. मुल्या उर्फ मुलचन्द को राज्य सरकार के द्वारा 1975 में भूमिहीन काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
फागी

लगातार 2

होने के कारण अलाटमेन्ट कमेटी द्वारा अलोट की गयी थी जिससे उक्त भूमि पर काश्त कर वादी के पिता अपना जीवनयापन कर रहे थे लेकिन कम समय में ही वादी के पिता की दिनांक 15.03.1985 को ही मृत्यु हो गयी। अलोटमेन्ट कमेटी के द्वारा वादी के पिता को उक्त विवादित भूमि अलाट करने के पश्चात् वादी के पिता को अलाट शुद्धा जमीन का कब्जा दिये जाने बावत् और रिकार्ड में दर्ज करने हेतु आदेश दिनांक 22.06.1976 को ही आवंटन अधिकारी द्वारा आदेश दिये जा चुके थे जिसकी पालना में हल्का पटवारी द्वारा वादी के पिता को उक्त विवादीत भुमि का कब्जा काश्त तो सम्भला दिया था लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम दर्ज नहीं किया था। जिससे उक्त भूमि वादी के पिता के नाम अलाट होने के पश्चात् भी राजकीय खाते में दर्ज हो रखी है जो हल्का पटवारी की लापरवाही के कारण हुई है। वादी के पिता अनपढ होने की वजह से उक्त भूमि को अपने नाम लगवाने की जानकारी नहीं कर सके और कुछ समय बाद ही वादी के पिता की मृत्यु हो गयी जिसके पश्चात् वादी को उक्त अलाट शुद्धा भूमि को अपने नाम नहीं होने की जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि अलाट शुद्धा जमीन को वादी प्रतिवादीगण काश्त करते आ रहे है और किसी राज्य कर्मचारी ने कोई रूकावट नहीं की जिससे वादी को यही विश्वास था कि उक्त भूमि अपने पिता के नाम है। वादी के पिता के साथ अन्य भूमिहीन काश्तकारों को जमीन अलोट की गयी थी जिनके नाम जमीन की जा चुकी है लेकिन वादी के पिता के नाम उक्त अलाट शुद्धा भूमि का नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया था जो राजकीय कर्मचारियों की गलती है। वादी के द्वारा तहसीलदार फागी को कही बार उक्त अलाट शुद्धा जमीन को वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किये जाने बावत् प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है लेकिन तहसीलदार फागी द्वारा आज तक उक्त विवादित भूमि का नामान्तकरण वादी व प्रतिवादी के नाम नहीं खोला गया है। राजकीय कर्मचारियों की गलती से वादी के पिता को राज्य सरकार द्वारा अलाट जमीन को राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किये जाने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है और वादी को राज्य सरकार की और से प्राप्त योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि वादी भूमिहीन काश्तकार है वादी के पिता के नाम उक्त अलाट शुद्धा जमीन के वादी व प्रतिवादी 1 लगा. 7 वरावर–वरावर हिस्सें की भूमि के काश्त कार है। और वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 7 स्व. मुल्या उर्फ मुलचन्द के वैध उत्तराधिकारी है जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगा. उक्त भूमि को अपने नाम लगवाने के कानूनन अधिकारी है। वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 के कार्यालय में उक्त अलाट शुद्धा भूमि जो उसके पिता के नाम हुई थी का नामान्तकरण खोलने व राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 8 ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी को दिनांक 10/6/17 को धमकी दी है कि उक्त विवादित भूमि को वह अपने अकेले के नाम लगवा लेंगा जिससे वादी हैरान हुआ है। और अपने अधिकारो के वावत् उक्त वाद वावत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी का वाद कारण दिनांक 10/6/17 को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा उक्त जमीन को अपने अकेले के नाम लगवाने की धमकी दिये जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ जिससे वाद वादी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। तहसीलदार फंागी को उक्त प्रकरण में पक्षकार कायम किया गया है उक्त प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने के कारण तहसीलदार फागी को धारा 80 सी. पी.सी. का नोटिस नहीं दिये जाने के कारण धारा 80 (2) सी.पी.सी प्रार्थना पत्र बाबत वाद प्रस्तुत करने की अनुमति देने हेतू वाद पत्र के साथ सलग्न है।विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 की ओर से वकील श्री रवि कुमार जैन उपस्थित हुए। तथा इकबालिया जवाव दावा पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। तथा इकबालिया

उपखण्ड अधिकारी
फागी

लगातार.........................3

जवाब मे निवेदन किया कि वादी का वाद मुताबिक अनुतोष स्वीकार कर डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि के वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 को बराबर–बराबर हिस्से की खातेदारी भूमि नाम लगाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी सं0 08 पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा जवाब मय फर्द मौका रिपोर्ट पेश किया गया एवं अपने जवाब मे बताया कि ग्राम जगन्नाथपुरा प0म0 निमेडा मे खसरा नं. 65 रकबा 7.8399 हैक्टेयर किस्म बंजड–2 तथा खसरा नं0 67 रकबा 0.5311 हैक्टेयर किस्म बंजड–2 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी वर्ष 2033–2036 के खाता सं. 33 में उक्त दोनो आराजीयात (सिलिंग अधिग्रहण) के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान में भी संवत 2037 से लगातार उक्त आराजीयात राजस्थान सरकार के नाम से ही चली आ रही है।

साक्ष्य में वादी ने पी0 डब्लू–1 स्वयं एवं पी0 डब्लू–2 रामस्वरूप पुत्र भींवाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील फागी एवं पी0 डब्लू–3 बालूराम पुत्र हीरालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील फागी जिला जयपुर के शपथ पत्र पेश किये। जिसमें शपथकर्ता ने बताया कि वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ख0नं0 65 रकबा 6 बीघा, ख0नं0 67 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा भमि वाके ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 का प्रत्येक का हिस्सा 1/8 – 1/8 है। वादी व प्रतिवादीगंण एक ही परिवार के सदस्य हैं जो स्व0 मुल्या उर्फ मूलचन्द के वारिस है उक्त आराजी वादी के पिता स्व0 मुल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र लाला जाति बैरवा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील फागी को दिनांक 22.06.1976 को भूमिहीन काश्तकार होने के कारण राज्य सरकार द्वारा खेती करने के लिये अलाटमेन्ट कमेटी द्वारा अलाटमेन्ट की गयी थी अलाटमेन्ट के पश्चात वादी के पिता ने उक्त अलाटशुदा भमि पर कब्जा कर लिया था और काश्त करने लग गया था जब तक वादी के पिता जीवित रहे उक्त अलाटशुदा भूमि पर काबिज काश्त रहे वादी के पिता की मृत्यु दिनांक 15.03.1985 को ही हो चुकी थी। जिसके पश्चात वादी व प्रतिवादीगंण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है।

बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा ध्यानपूर्वक वादी द्वारा पेश रिकॉर्ड व साक्ष्य एवं राजकीय पेरोकार का जवाब एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अवलोकन अनुसार सम्वत 2037 से उक्त भूमि लगातार राज्य सरकार के नाम चली आ रही है। वादी ने ऐसा कोई भी रिकॉर्ड एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किया जिससे साबित हो कि वादी ने उक्त भूमि का कभी नामान्तकरण खुलवाया हो या कभी उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त किया हो। प्रदर्श पी 1 दिनांक 16.05.2025 के मुताबिक वादी द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि आवंटन पश्चात वादी ने उक्त भूमि की पटवारी के माध्यम से सुपुर्दगी प्राप्त नहीं थी। वादी उक्त भूमि पर कब्जा साबित करने पर पूर्णतया असफल है। अतः उक्त अवलोकन एवं विवेचन अनुसार वादी का राजकीय भूमि बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है।

<u>आदेश</u>

अतः वादी का वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/7/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

डिक्री मुंकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास— राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. रामअवतार पुत्र श्री मुल्या उर्फ गुलचन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम जगनाथपुरा पटवार हल्का निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. रामनिवास पुत्र श्री मुल्या उर्फ मुलचन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम जगनाथपुरा पटवार हल्का निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. गलोल देवी पत्नि श्री मुल्या उर्फ मुलचन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम जगनाथपुरा पटवार हल्का निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. धापू देवी पुत्री मुल्या उर्फ मुलचन्द
4. कमला देवी पुत्री मुल्या उर्फ मुलचन्द
5. गीता देवी पुत्री मुल्या उर्फ मुलचन्द
6. संतरा देवी पुत्री मुल्या उर्फ मुलचन्द
7. कौशल्या देवी पुत्री मुल्या उर्फ मुलचन्द समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम जगनाथपुरा पटवार हल्का निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

::— वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::—

मु0न0:— 84 / 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री रमेश चन्द शर्मा हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण रवि कुमार जैन व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निज........—........मुबलिग........—........बाबत........—........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....—........फीसदी........—........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....0....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.07.2025 को जारी की गई।

25/7/25

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा........फागी

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

25/7/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर